विषय:— रामगंजमण्डी भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना निर्माण हेतु ग्राम गिन्द्वर तहसील झालावाड़ जिला झालावाड़ की 6.82 हेक्टर निजि भूमि अवांछित किये जाने की अधिसूचना क्रमांक प.6(15)परि./रे.प्र. /मु. /2014/6722–25 दिनांक 24.04.2015 का सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।

प्रसन्न:— कार्यालय का पत्र संख्या भू-30/रेल्वे/15/283 दिनांक 20.11.15।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि रामगंजमण्डी भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम गिन्द्वर तहसील झालावाड़ जिला झालावाड़ की 6.82 हेक्टर निजि खातेदारी भूमि अवांछित किये जाने की अधिसूचना क्रमांक प.6(15)परि./रे.प्र. /मु. /2014/6722–25 दिनांक 24.04.2015 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महादय परियोजना विभाग जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। जिसमें संयुक्त शासन सचिव महादय द्वारा भूमि अवांछित की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

भूमि अर्जन पुनर्वसुन्धरण और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(म) के अनुसार अधिसूचना का सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। पत्र के संलग्न अधिसूचना दिनांक 24.04.2015 की प्रति भिजवाई जा रही हैं। अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाकर सूचना से अवगत कराएँ। चाहीं गई सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। अतः अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका हो तो सूचना से अवगत कराने का श्रम करें।

भूमि अवांछित अधिकारी
(उपखंड अधिकारी) झालावाड़